

संख्या T-4703/15-7-16/1511/1995  
\*\*\*\*\*

प्रश्न

श्री ज्ञानोदय गांधीजी,  
मधुपति राजकी  
उत्तर प्रदेश सरकार ।

X/6C

लेखा द्वारा

दिनांक  
ग्रन्थालय माध्यमिक विद्या परिषद्  
विद्या बोर्ड 2 अप्रैल 1995  
प्राप्ति प्रधार नं ५८८०

N.C

सिधा 171 अनुमान

नमस्कार: दिनांक: १५ अप्रैल 1995

विधय:- ग्रन्थालय गांधीजी उत्तरायण को स्थानान्वयन के लिए उत्तरायण के लिए जनापालित प्रमाणीय प्राप्ति प्राप्ति के लिए जाने में आ

महोदय,

उपर्युक्ते विधायक पर युक्त यह क्षेत्र विद्या द्वारा है कि महोदय विद्या  
मन्दिर उत्तरायण को विद्यालय विद्यालय के लिए उत्तरायण के लिए जाने में आ  
राज्य सरकार को निम्नलिखित प्राप्तियों के लिए अप्राप्ति नहीं है :-

111 विद्यालय को राज्याभूत उत्तरायण का सभ्य तथा पर जीवनास्त्रण  
क्रापाद बनाएगा ।

121 विद्यालय को पुर्वन्युजित भवितव्य विद्या विद्यालय उत्तरायण भवितव्य सदृश देंगा ।

131 विद्यालय में कम तो कम इस प्राप्तिकान्वयन अनुसूचित पाति/अनुसूचित  
जनायेंगा और पाठि पूर्व में प्रद्यालय माध्यमिक विद्या पाठ्यक्रम से  
विद्यालय के लिए मुराहित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश  
माध्यमिक विद्या परिषद् उत्तरायण संवालित विद्यालयों में प्राप्ति  
व्यापारों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं दिया जाएगा ।

141 संस्था उत्तरायण राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं का  
जायेगा और पाठि पूर्व में प्रद्यालय माध्यमिक विद्या पाठ्यक्रम से  
विद्यालय के लिए प्राप्ति का लिए विद्यालय का दिव्यांग  
शुल्क सदृश देंगा इसका मौजूदा नहीं देता तो उस  
प्राप्ति परिषद् ने सम्मान विद्यालय को दिया तो विद्यालय से परिषद् से  
मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान देवतः समाप्त हो जायेगा ।

5- तीर्थयात्रियों एवं शिष्यगतात्तर कर्मपात्रियों को राज्यीय सहायता  
प्राप्ति विधियां संस्थायों के कर्मपात्रियों को अनुमन्यु देता माना जाए  
अन्य भूतों से कम देता माना जाए अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे ।

164 कर्मपात्रियों को तेवा शर्तों आधारी जो ८,३=१२ सहायता प्राप्ति  
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मपात्रियों की अनुमन्यु तेवा  
निवृत्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

D.P.V.  
Prinicipal  
Maharishi Vidya Mandir  
Noida

....2

- 17। राज्य सरकार द्वारा यम्भ सम्पूर्ण भा. भा. ग्राही निरत  
किये जानेवाला उनका पालन होगा ।
- 18। विद्यालय के विकास नियारित प्रपत्र/विषयालय में रहा  
जायेगा ।
- 19। उच्चत भूतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना छोड़  
पारवत्ती/लोधीयन पा. परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिक्रिया पक्ष भी होगा जि संस्था द्वारा निम्नलिखित मुनिशिवत  
विषया जायेगा -
- 1। विद्यालय द्वारा निजी अवनता निमाई तीन वर्ष में करके  
विद्यालय नवे भवन में स्थानान्तरित कर लिया जायेगा ।
  - 2। विद्यालय के तभी अध्यापक प्रशिक्षित हैं तथा उन्हें नियारित  
वैकल्प व मंटगाई भवता राज्य सरकार के अनुसन्ध मुगलन विषय  
जारीकर रखा है ।
  - 3- इस प्राविष्टिकों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और  
पदि किसी सभ्य पक्ष पाया जाता है तो संस्था द्वारा उच्चत प्रतिक्रिया का पालन  
नहीं किया जा रहा है अप्यत इसने वरने में किसी प्रकार दा. यू. पा. शिक्षिता  
बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदर्श अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त  
ने लिया जायेगा ।

अवटीव

प्राविष्टिक ग्रन्ति  
संयुक्त सार्वजनिक

पुस्तक 4703111/15-7-1996 द्वारा दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शूपार्थ स्वर्व आपश्वक कार्यपादी है

प्रृष्ठित :-

- ✓- लिया निषेधाल्पु तार प्रदेश नवनक ।
- 2- महाराष्ट्र तंत्रज्ञन प्राप्ति निषेधक भेद ।
- 3- जिन विद्यालय निरीधक, तीतापुर ।
- 4- निरीधक, आता भारताय विद्यालय उत्तर प्रदेश नवनक ।
- 5- प्रबन्धक, महार्षि विद्या मन्दिर तीतापुर ।

अवटीव

महाराष्ट्र सार्वजनिक  
संयुक्त सार्वजनिक

Principals  
Maharishi Vidya Mandir  
Shabur